

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

✓ अपील संख्या 1550/2012/जोधपुर
 अपील संख्या 1551/2012/जोधपुर
 अपील संख्या 1552/2012/जोधपुर
 अपील संख्या 1553/2012/जोधपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
 वार्ड—तृतीय, वृत—सी, जोधपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स महावीर स्टोन,
 एफ—143, द्वितीय फेस बासनी,
 जोधपुर।

.....प्रत्यर्थी.

कैम्प जोधपुर
एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::

श्री डी.पी.ओझा,अपीलार्थी की ओर से.
उप—राजकीय अभिभाषक।	
श्री आर.आर.सिंघवी,प्रत्यर्थी की ओर से.
अभिभाषक।	

निर्णय दिनांक : 05.10.2015

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यें अपीलें उपायुक्त (अपील्स), प्रथम वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 29.02.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जिसमें प्रत्यर्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड—तृतीय, वृत—सी, जोधपुर (जिसे आगे “कर निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा आर.एस.टी., एकट, 1994 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 29, 58, 61, 62 एवं 65, 10(1), व 10(3) के अन्तर्गत सृजित मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त/प्रतिप्रेषित किये जाने को विवादित किया है।

अपील संख्या	वर्ष	कर.नि. दिनांक	विवादित कर एवं सरचार्ज	ब्याज	शास्ति	योग
1550/2012	01—02	14.06.04	215400 32309	97573	62157	407439
1551/2012	01—02	29.03.04	20820 3123	10354	47886 4788	86971
1552/2012	02—03	30.03.05	302049 45308	135837	39424	522618
1553/2012	03—04	28.03.06	237030 35555	94682	39732	406999

2. उक्त अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। आदेश की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर अलग—अलग रखी जावें।

लगातार.....2

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 19.06.2003 को प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी फर्म के व्यवसाय स्थल पर रखे कुछ लूज पेपर्स/रेकॉर्ड अधिनियम की धारा 77(3) के अंतर्गत Impound किए गए थे। प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल के Impound Record का सत्यापन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा समय समय पर किया जाकर वर्ष 01–02, 02–03 एवं 03–04 की ऑडिट की जाकर करारोपण हेतु नोटिस जारी किए गए। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सैण्ड स्टोन को क्य खरीद कर उसे विभिन्न साइजों में काटकर कर चुके माल के रूप में विक्रय करने पर किसी भी तरह का कर दायित्व नहीं मानते हुए, व्यवसाय किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय, पत्थर (सैण्ड स्टोन) को विभिन्न साइजों में काटकर विक्रय किये जाने की प्रक्रिया के मद्देनजर इसे निर्माण कार्य मानते हुए उस पर करारोपण किया गया था। प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल के सर्वेक्षण के दौरान पाये गए लूज पेपर्स एवं अन्य रिकॉर्ड के ऑडिट के दौरान नियमित लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि नहीं होने की स्थिति में उस माल की खरीद बिकी उचित मानते हुए कर, ब्याज के अलावा शास्ति का भी आरोपण किया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने उपरोक्त तालिकानुसार कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया उक्त पारित निर्धारण आदेशों के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अपास्त कर दी गई तथापि लूज पेपर्स के सत्यापन हेतु प्रकरणों को निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया उक्त पारित अपीलीय आदेश से व्यक्तित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो कर, ब्याज व शास्ति आरोपित की गई है वह सही है। उन्होंने तर्क दिया कि खान से निकले पत्थर को विभिन्न माप की साइजों में काटने पर उनके स्थानीय नाम आसलेट, लिरिया, दासा, कडाऊ तथा कोपीन आदि हैं, जो एक निर्माण प्रक्रिया के तहत निर्मित किये जाते हैं। जिनके निर्माण में कटाई मशीनों का उपयोग होता है अतः अलग वाणिज्यिक वस्तु का निर्माण होने से इसकी बिकी कर योग्य है। अतः अपीलीय अधिकारी का आदेश अविधिक

होने से प्रस्तुत अपीलें स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई तथा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को बहाल करने का एवं प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का व्यवसाय जोधपुर के सेण्ड स्टोन को खरीद कर विक्रय किए जाने का था। इस सम्पूर्ण व्यवसाय में सेण्ड स्टोन जो एक बिल्डिंग स्टोन है, को खानों से खनन करने के पश्चात् जिसमें खनन में ही विभिन्न आकारों में प्राप्त किया जाता है जिन्हें ब्लॉक, आसलेट, पटिट्या आदि के रूप में निकाल कर उसे बिल्डिंग में चुनाई के रूप में काम में लिया जाता है। चुनाई के पूर्व उनको अलग—अलग साईज में मशीनों द्वारा काटा जाता है तथा जोधपुर की स्थानीय भाषा में उनकी मोटाई अनुसार दासा, कडाउ, लिरिया, कोपीन आदि के नाम से जाना जाता है। यह जोधपुर का पत्थर अलग—अलग आकार अनुसार चुनाई में काम आता है जैसा कि खण्डे दीवार बनाने में जबकि कडाउ गेप भरने जैसे खिड़की, दरवाजे के ऊपरी हिस्से में रखे जाते हैं एवं लिरिया सामने की दीवारों पर चुनी जाती है। इस तरह जोधपुरी पत्थर को केवल कटिंग कर उनको चुनाई हेतु काम में लिया जाता है। जोधपुरी पत्थर को अलग—अलग आकार में साईज के रूप में काटा जाता है जो किसी भी तरह की नवीन वाणिज्यिक वस्तु का निर्माण नहीं है। अतः निर्माण प्रक्रिया नहीं होने से अपीलीय अधिकारी का निर्णय विधिक एवं पूर्णतः तथ्याधारित है इसके समर्थन में माननीय न्यायालयों के निम्न निर्णय भी प्रस्तुत किये :—

Chowgule & Co.(P) Ltd., V/s Union of India (1981) 47 STC 124 (S.C.)

- 1- Swan Bangle Stores V/s ACTO (1970) 25 STC 122 (ALL)
- 2- Bharti Steel Wires V/s Addls. CTO (1992) 84 STC 418 (Kar.)
- 3- State of Maharashtra V/s Shiv Datt & Sons (1992) 84 STC 497 (S.C.)
- 4- Sterling Foods V/s State of Karnataka & ors. (1986) 63 STC 239 (S.C.)
- 5- State of Tamilnadu V/s C.Kanchan Mala (1994) 93 STC 87 (Mad.)
- 6- State of Maharashtra V/s Maha Laxmi Stores (2003) 129 STC 79 (S.C.)

M/s Chitra Metal Ind., V/s Addl. CCT & ors. (2003) 30 TW 103 (RTB DB)

उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलों को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। स्वयं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश में की गई विवेचना का उल्लेख करते हुए उसमें वर्णित प्रक्रिया को उदृत किया जो यहाँ उदृत की जाती है :—

“व्यवसायी द्वारा जोधपुरी सेण्ड स्टोन के ब्लॉक एवं आसलेट खरीद कर उनकी स्टोन कटिंग मशीनों से कटिंग कर के आदेश के मुताबिक लिरिया, कडाउ, कोपीन, दासा आदि का विनिर्माण कर विक्रय किया जाता है। इस दौरान आसलेट (6इंच से 12 इंची मोटाई, 6 इंची से 12 इंची चौड़ा तथा एक फुट से 8 फुट लम्बा सेण्ड स्टोन का ब्लॉक आसलेट कहलाता है’ से कटिंग मशीन से ढाई इंच से लेकर 6 इंच मोटाई तक की विभिन्न लम्बाई की लिरिया काटी जाती है। जिनका ऊपरी तल तथा नीचे का तल बिल्कुल समान काटा जाना आवश्यक है, अन्यथा उबड़ खाबड़ तल वाली लिरी स्केप हो जाती है।

इसी तरह आसलेट/ब्लॉक्स की कटर मशीनों की मदद से, जिनमें डायमंड Segments लगे होते हैं, के जरिए 4 से 6 इंची मोटे, 12 इंच से 14 इंच चौड़े तथा 1 फीट से 4-5 फीट तक की लम्बाई के कडाउ, कोपीन तथा दासे आदि बनाये जाते हैं जिनके तीन तरफ से मशीनों की कटाई कर तीन तल पूर्णतया प्लेन करते हुए केवल एक तल रफ छोड़ते हुए तैयार किया जाता है। इस प्रकार यह एक सामान्य Edge cutting की प्रक्रिया नहीं है, तथा लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई आदि का विशेष ध्यान रखते हुए मशीनों के जरिए बड़े ध्यान से नाप का ध्यान रखते हुए इनका विनिर्माण किया जाता है।”

आदेश में उक्त वर्णन में स्वयं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ब्लॉक/आसलेट को बिल्डिंग कार्य में चुनाई के उद्देश्य से अलग अलग साइजों में कटिंग की जाती है एवं कटिंग मशीनों का इस्तेमाल कर बिल्डिंग में चुनाई के लिए विभिन्न साइजों में परिवर्तन किया जाता है तथा इन साइजों के अनुसार ही जोधपुरी भाषा के चलन में इनके विभिन्न नाम रखे गए हैं।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जिन विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर इस पत्थर की साईज कटिंग को विनिर्माण माना है वे सभी निर्णय एक विशिष्ट साइज के पत्थर से टाइल्स जैसी एक अलग वाणिज्यिक वस्तु के रूप में पहचान होने के मामले थे। अधिनियम की धारा 2(27) जिसमें निर्माण को परिभाषित किया गया है जो निम्न प्रकार से है :—

“Manufacturing includes every processing of goods which bring in to existence a commercially different and distinct commodity but shall not include such processing as may be notified by the State Govt.”

✓

उक्त परिभाषा एवं राजस्थान विक्य कर अधिनियम, 1954 में प्रदत्त manufatur की परिभाषा जो Sec 2(k) में थी को भी उदृत किया।

Sec 2(K) “manufacturing includes any process or manner of producing, collecting, extracting, preparing or making any goods, but does not include such manufactures or manufacturing process as may be notified by the state govt. ”

“अधिनियम की धारा 1994” की परिभाषा से ही प्रत्यर्थी का विवाद संदर्भित है एवं धारा 2(27) में केवल नई वाणिज्यिक वस्तु निर्मित होने पर उसे विनिर्माण प्रक्रिया माना गया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी सेण्ड स्टोन जो कि इमारती पत्थर है एवं साइज एवं मोटाई के अनुसार लिरिया, कडाउ, कोपीन, दासा आदि के रूप में जाना जाता है तथा इन सभी साईजों के पत्थर को केवल सेण्ड स्टोन के रूप में चुनाई में ही काम में लिया जाता है तथा कोई अन्य नई वाणिज्यिक वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के Chowgule & Co, (P) Ltd. V/s Union of India (1981)47 STC page 124 को उदृहरत किया जिसमें प्रत्येक processing को manufacturing नहीं माना गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो न्यायिक निर्णय प्रस्तुत किये हैं वे राजस्थान विक्य कर अधिनियम, 1954 की धारा 2(K) से संबंधित रहे हैं अतः इस अधिनियम 1994 के प्रकरण में नई परिभाषा 2(27) के प्रकाश में लागू किया जाना न्यायसंगत भी नहीं है।

राजस्थान विक्य कर अधिनियम, 1994 की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.4(12)एफडी / टैक्स डिवी./ 2001–12 दिनांक 29.03.2001 (एवं तदन्तर समय–समय पर संशोधित) विवादित कर निर्धारण अवधि के दौरान जो वस्तुओं पर कर दर अधिसूचित करती है का सन्दर्भित मूल पठन निम्न प्रकार से है :—

“136. Building material except marble, Granite & Cement Building Stone, Bricks and Lime..... 12 प्रतिशत”


उपरोक्त अधिसूचना की प्रविष्टि के अवलोकन से स्पष्ट है कि सभी प्रकार की भवन सामग्री (अपवादों को छोड़कर कर) व इमारती पत्थर 12 प्रतिशत से कर देय है। उक्त प्रविष्टि के अनुसार इमारती पत्थर पर 12 प्रतिशत कर देयता ठहरती है, कोई भी पत्थर (अपवादों को छोड़कर कर) जो इमारतों में प्रयुक्त होता है उस पर 12 प्रतिशत कर देयता है। कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार भी उक्त दासा, कोपीन, लिरिया आदि पत्थर भवन निर्माण में प्रयुक्त होते हैं एवं इमारती पत्थर ही है चूंकि कर देयता की प्रविष्टि में इमारती पत्थर

अंकित है अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलीय अधिकारी ने जिन्होंने अपने आदेशों में निर्माण की परिभाषा पर विस्तृत विवेचन दिया है एवं इमारती पत्थर को अन्य साइज में काट कर इमारती पत्थर के रूप में ही काम लिये जाने पर विभिन्न साइज के विभिन्न नाम के पत्थरों को विनिर्माण नहीं माना है, विधिक एवं उचित है। अतः उक्त आदेशों में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होने से इसकी पुष्टि की जाती है। जहां तक विवादित दूसरे बिन्दु जिसमें अपीलार्थी द्वारा बिना बिल की उच्चन्ती बिकी का प्रश्न है, अपीलीय अधिकारी ने इस बिन्दु पर प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया था जिसकी पालना में निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 25.02.2014 को निस्तारण कर दिया है। चूंकि प्रतिप्रेषित आदेश का निस्तारण कर दिया गया है अतः निम्न प्रोद्धहरणों में दी गई व्यवस्था के अनुसरण में उक्त बिन्दु पर भी अपीलें सारहीन हो गई है।

- (i) सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ बनाम् मोहित ट्रेडिंग, 25 टैक्स अपडेट 59 (राज.)
- (ii) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै० केशरीलाल (1991) 9 आर.टी.एस 8। (राज.)
- (iii) वाणिज्यिक कर अधिकारी, एन्टीइवेजन बनाम् विशाल ट्रेडिंग कं० (1997) 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)
- (iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् अग्रवाल साल्ट कं०, 38 टैक्स वर्ल्ड 16 (आर.टी.बी.) इन निर्णयों में सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रतिप्रेषित निर्णय के निर्देशों के अनुरूप प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है तो प्रतिप्रेषित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील सारहीन हो जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।


5-10-2015
(मदन लाल)
सदस्य